

The Registration (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2014 Act 12 of 2015

Keyword(s): Registrar, Registration

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक ७ जुलाई २०१५—आषाढ़ १६, शक १९३७

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्र. 3552-187-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 जून 2015 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१५

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१४

विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का संख्यांक १६ का संशोधन.
- ३. धारा २ का संशोधन.
- ४. धारा १७ का संशोधन.
- ५. धारा २० का संशोधन्.
- ६. धारा २१ का संशोधन.
- ७. धारा २२ का संशोधन.
- ८. धारा २४ का स्थापन.
- ९. धारा २५ का स्थापन.
- १०. धारा ३२-क का स्थापन.
- ११. धारा ३४ का संशोधन.
- १२. धारा ४९ का संशोधन.
- १३. धारा ५७ का संशोधन.
- १४. धारा ६३-क का अंत:स्थापन.
- १५. धारा ८२ का स्थापन.
- १६. धारा ८२-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१५

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक २७ जून, २०१५ को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ८७ जुलाई २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रिजस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम,२०१४ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) को, (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का सं. १६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (४-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २ का संशोधन.

- ''(४-ख) ''इलेक्ट्रानिक चिह्नक'' का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० (२००० का २१) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (न-क) में समनदेशित किया गया है.
- ४. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—
 - (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (छ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम, स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाए, अर्थातः :—

धारा १७ का संशोधन.

- ''(ज) कोई अन्य लिखत, जिसका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित हो.'';
- (दो) उपधारा (३) में, शब्द ''पुत्र'' के स्थान पर, शब्द ''संतान'' स्थापित किया जाए.
- ५. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, धारा २० का अर्थात्:—
 - ''(१) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर ऐसी किसी दस्तावेज को, जिसमें कोई अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत करने से स्वविवेक से उस दशा के सिवाय इंकार कर सकेगा, जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन तथा दावेदारी करने वाले व्यक्ति ऐसे अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन को अपने हस्ताक्षरों से या आद्याक्षरों से अभिप्रमाणित कर देते हैं.''.
- ६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(१) स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, जब तक कि उसमें ऐसी संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त, ऐसी संपत्ति का वर्णन उसकी अवस्थिति और प्रकार दर्शाने वाले मानचित्र तथा फोटोचित्रों के साथ अंतर्विष्ट न हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत नहीं किया जाएगा.''.

धारा २१ का संशोधन. धारा २२ का संशोधन.

- ७. मूल अधिनियम की धारा २२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(१) जहां कि राज्य सरकार की राय में यह साध्य है कि गृहों और भूमियों का वर्णन सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया जा सकता है, वहां राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि पूर्वोक्त जैसे गृहों और भूमियों को धारा २१ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार वर्णित किया जाए.''.

धारा २४ का स्थापन. ८. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज.

''२४. जहां कि दस्तावेज को विभिन्न समयों पर निष्पादित करने वाले कई व्यक्ति हैं, वहां ऐसी दस्तावेज अंतिम निष्पादन की तारीख से चार मास के भीतर रिजस्ट्रीकरण और पुन: रिजस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जा सकेगी.''.

धारा २५ का स्थापन. ९. मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जिस दशा में उपस्थापित करने में विलंब अपरिवर्जनीय है उस दशा के लिए उपबंध. "२५. यदि, अर्जेंट आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना के कारण भारत में निष्पादित कोई दस्तावेज या की गई डिक्री या आदेश की प्रति, इस निमित्त एतिस्मिनपूर्व विहित समय का अवसान हो जाने के पश्चात् तक रिजस्ट्रीकरण करने के लिए उपस्थापित नहीं की जा सके तो रिजस्ट्रीकर्ता आफिसर, उन दशाओं में, जिनमें उपस्थापन में विलम्ब चार मास से अधिक न हो, उस जुर्माने के संदाय पर, जो कि उचित रिजस्ट्रीकरण फीस की रकम के दस गुने से अधिक न हो, ऐसे दस्तावेजों का रिजस्ट्रीकरण कर सकेगा.''.

धारा ३२-क का स्थापन. १०. मूल अधिनियम की धारा ३२-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

फोटोचित्र आदि का अनिवार्यतः लगाया जाना.

- "३२-क. धारा ३२ के अधीन समुचित रिजस्ट्रीकरण कार्यालय में कोई दस्तावेज उपस्थापित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस दस्तावेज पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटोचित्र और अंगूठे का निशान लगाएगा तथा हस्ताक्षर करेगा:
- परन्तु जहां ऐसा दस्तावेज स्थावर संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है तो ऐसे दस्तावेज में वर्णित ऐसी संपत्ति के प्रत्येक निष्पादक तथा दावेदार के भी पाासपोर्ट आकार के फोटोचित्र तथा अंगूठे का निशान तथा हस्ताक्षर लिए जाएंगे.''.

धारा ३४ का संशोधन.

- ११. मूल अधिनियम की धारा ३४ में,—
 - (एक) उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु जब राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई दस्तावेज इलेक्ट्रानिक फार्म में उपस्थापित किया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.'';
 - (दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(२) उपधारा (१) के अधीन उपसंजातियां एक ही समय पर होंगी.'';
 - (तीन) उपधारा (३) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(कख) यह जांच करेगा कि क्या ऐसे दस्तावेज भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से स्टांपित किए गए हैं या नहीं;'';
 - (चार) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

१२. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, दो बार आने वाले शब्द, अंक और कोष्ठक ''संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का ४)'' के पश्चात्, शब्द ''या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि'' अंत:स्थापित किए जाएं.

धारा ४९ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

धारा ५७ का संशोधन.

"परन्तु जब कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज इलेक्ट्रानिक फार्म में हस्ताक्षरित है और संबंधित नियमों के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत डाटाबेस में स्टोर किया गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) की धारा ६७ क के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, उक्त प्राधिकृत डाटावेस से उसकी प्रतियां डाउनलोड / जारी की जा सकेंगी और वे मूल दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं को साबित करने के प्रयोजन के लिए भी ग्राह्य होंगी.''.

१४. मूल अधिनियम की धारा ६३ के पश्चात्, भाग ११(ख) में, निम्नलिखित धारा, अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ६३-क का अंत:स्थापन.

''६३-क (१) अधिनियम के अधीन अपेक्षित समस्त उपस्थापन, पृष्ठांकन, पंजीबद्धकरण, प्रमाणन, हस्ताक्षर और बहियों तथा अनुक्रमणिकाओं का संधारण, नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई हो, इलेक्ट्रानिक फार्म में किए जा सकेंगे.

उपस्थापन आदि इलेक्ट्रानिक फार्म में किए जा सकेंगे.

(२) समस्त बहियां ओर अनुक्रमणिकाएं जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुली हों, सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथा अधिसूचित शासकीय वेबसाईट या इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जा सकेंगी.''.

१५. मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ८२ का

''८२. जो कोई —(क) कोई मिथ्या कथन, चाहे वह शपथ पर हो या नहीं और चाहे वह अभिलिखित किया गया हो या नहीं, किसी ऐसे आफिसर के समक्ष, जो इस अधिनियम के निष्पादन में कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में साशय करेगा; अथवा मिथ्या कथन करने, मिथ्या विवरण देने, मिथ्या दस्तावेज या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के लिए शास्ति.

- (ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किसी दस्तावेज में साशय कोई मिथ्या विवरण देगा; अथवा
- (ग) किसी रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को, किसी कार्यवाही में कोई मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साशय परिदत्त करेगा: अथवा
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई दस्तावेज उपस्थापित करेगा या कोई स्वीकृति या कथन करेगा या कोई समन या कमीशन निकलवाएगा या कोई अन्य कार्य करेगा; या
- (ङ) इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय की गई बात का दुष्प्रेरण करेगा,

वह कारावास से जिसकी अविध सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.''.

१६. मूल अधिनियम की धारा ८२-क में, उपधारा (२) में, शब्द ''दो सौ रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

धारा ८२-क का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्र. 3553-187-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 12 of 2015

THE REGISTRATION (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2014

TABLE OF CONTENTS

Sections :-

- 1. Short title and commencement
- 2. Amendment of Central Act No. 16 of 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 3. Amendment of Section 2.
- 4. Amendment of Section 17.
- 5. Amendment of Section 20.
- 6. Amendment of Section 21.
- 7. Amendment of Section 22.
- 8. Substitution of Section 24.
- 9. Substitution of Section 25.
- 10. Substitution of Section 32A.
- 11. Amendment of Section 34.
- 12. Amendment of Section 49.
- 13. Amendment of Section 57.
- 14. Insertion of Section 63A.
- 15. Substitution of Section 82.
- 16. Amendment of Section 82A.

MADHYA PRADESH ACT

No. 12 OF 2015

THE REGISTRATION (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2014

[Received the assent of the President on the 27th June 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th July, 2015].

A Bill further to amend the Registration Act, 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Registration (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2014.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. The Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act No. 16 of 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. In Section 2 of the principal Act, after clause (4-A), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 2.

- "(4-B)" electronic signature shall have the same meaning as assigned to it in clause (ta) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);".
 - 4. In Section 17 of the principal Act,—

Amendment of Section 17.

- (i) in sub-section (1), in clause (g), for full stop, the semi colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(h) any other instrument required by any law for the time being in force, to be registered.";
- (ii) in sub-section (3), for the word "son", the word "child" shall be substituted.
- 5. In Section 20 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 20.

- "(1) The registering officer may in his discretion refuse to accept for registration any document in which any interlineations, blanks, erasures or alterations appear, unless the persons executing and claiming under the document attest with their signatures or initials such interlineations, blanks, erasures or alterations.".
- 6. In Section 21 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 21.

"(1) No non-testamentary document relating to immovable property shall be accepted for registration, unless it contains a description of such property along with a map and photographs showing its location and nature, sufficient to identify the same.".

Amendment of section 22.

- 7. In Section 22 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) Where it is, in the opinion of the State Government, practicable to describe houses and lands by reference to a Government map or survey, the State Government, may, by rule made under this Act, require that such houses and lands as aforesaid shall, for the purposes of section 21, be so described.".

Substitution of Section 24.

8. For Section 24 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Documents
executed by
several persons
at different
times.

"24. Where there are several persons executing a document at different times, such documents may be presented for registration and re-registration within four months from the date of last execution.".

Substitution of Section 25.

9. For Section 25 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Provision where delay in presentation is unavoidable.

"25. If, owing to urgent necessity or unavoidable accident, any document executed, or copy of a decree or order made, in India is not presented for registration till after the expiration of the time hereinbefore prescribed in that behalf, the Registering Officer, in cases where the delay in presentation does not exceed four months, may register the document, on payment of a fine not exceeding ten times the amount of the proper registration fee on such document."

Substitution of Section 32-A.

10. For Section 32-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Compulsory affixing of photograph, etc.

- "32-A. Every person presenting any document at the proper registration office under section 32 shall affix his passport size photograph, thumb impression and signature to the document:
 - Provided that where such document relates to the transfer of ownership of immovable property, the passport size photograph, thumb impression and signature of each executant and claimant of such property mentioned in the document shall also be affixed to the document.".

Amendment of Section 34.

- 11. In Section 34 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (1), for the existing provisos, the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Provided that when any document as notified by the State Government is presented in electronic form, personal appearance shall not be required.";
 - (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :-
 - "(2) Appearances under sub-section (1) shall be simultaneous.";
 - (iii) in sub-section (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(ab) enquire whether or not the document is duly stamped as per provisions of the Indian Stamp Act, 1899;";
 - (iv) sub-section (4) shall be deleted.

12. In Section 49 of the principal Act, after the words, figures and bracket "Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882)" occurring twice, the words "or any other law for the time being in force" shall be inserted.

Amendment of Section 49.

13. In Section 57 of the principal Act, in sub-section (5), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

Amendment of Section 57.

"Provided that when a registered document is electronically signed and stored in a database authorized by the Government under the concerning rules, then subject to the provision of section 67A of the Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872), copies thereof may be downloaded/issued from the said authorized database and the same shall also be admissible for the purpose of proving the contents of the original document."

14. After Section 63 of the principal Act, the following section shall be inserted in Part XI (B), namely:—

Insertion of Section 63-A.

"63-A. (1) All presentations, endorsements, filing, certifications, signatures and maintenance of books and indexes required under the Act, may be done in electronic form, as per procedure, if any, laid down under the rules.

Presentation etc may be done in electronic form.

- (2) All books and indexes that are open to public inspection, may be made available for inspection through a Government website or the Electronic Registration System as notified by the Government for the purpose.".
- 15. For Section 82 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 82.

"82. Whoever—

(a) intentionally makes any false statement, whether on oath or not, and whether it has been recorded or not, before any officer acting in execution of this Act, in any proceeding or inquiry under this Act; or

Penalty for making false statements, false recitals, delivering false documents, or copies or translations, false personation, and abatement.

- (b) intentionally makes any false recital in a document presented for registration; or
- (c) intentionally delivers to a registering officer, in any proceeding, a false document, or copy or translation of a document, or a false copy of a map or plan; or
- (d) falsely personates another, and in such assumed character presents any document, or makes any admission or statement, or causes any summon or commission to be issued, or does any other act in any proceeding or enquiry under this Act; or
- (e) abets anything made punishable by this Act,
- shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine, or with both.".
- 16. In Section 82-A of the principal Act, in sub-section (2), for the words "two hundred rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 82-A.